न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2011 निगरानी नगरपालिका

1. कैलाश पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी थला की ढाणी गंगापुर रोड पी.डब्लू.डी. चौकी के पास लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमति गंगा देवी पत्नि चौथ्या (चौथमल सैनी)
2. नाथू लाल सैनी पुत्र चौथ्या (चौथमल सैनी)
3. शंभूदयाल सैनी पुत्र चौथ्या (चौथमल सैनी)
   जाति माली निवासी डिगो रोड, राव के कुऐ के पास, वार्ड नम्बर 21 लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. नगरपालिका मण्डल लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल लालसोट जिला दौसा।

गैरनिगरानीकार

प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने पट्टा सं0 1236 दिनांक 31.1.2006 नगरपालिका मण्डल लालसोट जिला दौसा अन्तर्गत धारा 73(2) क,ख राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009

उपस्थिति : श्री वरूण नागर अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री ब्रज मोहन गौड अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 लगा. 03 ।

—:निर्णयः—

दिनांकः 31-8-2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा लालसोट जिला दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 772 रकबा 1 बीघा स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि हिस्सा 1/2 का खातेदार है एवं मौके पर अपने हिस्से 1/2 पर काबिज है, शेष 1/2 हिस्सा तेजा, चौथ्या, बसंता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चौथ्या के देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगा0 3 का नाम नामान्तरकरण सं0 2234 दिनांक 3.4.2002 के द्वारा जोड़ा गया है। प्रार्थी कैलाश ने उक्त भूमि का हिस्सा 1/2 रामगोपाल पुत्र मूल्या, लल्लू, नंदकिशोर पिसरान कन्हैया से परिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है व 1/2 हिस्सा पर कब्जा प्राप्त किया है एवं नामान्तरकरण सं0 2632 दिनांक 5.11.05 को विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। उक्त भूमि का खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है एवं उक्त भूमि के संबंध में एक वाद जगदीश बनाम बसंतीलाल न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के यहां लम्बित है जिसमें दिनांक 5.11.2005 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई है जो दिनांक 16.3.2010 को मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार यथास्थिति के आदेश रखे जाने

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

का आदेश देकर निर्णित हुई है। दिनांक 5.11.2005 से 16.3.2010 तक रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश प्रभावशील था। अप्रार्थीगण नं0 1 लगा. 3 ने नगरपालिका मण्डल लालसोट के समक्ष गुपचुप में नगरपालिका लालसोट के अधिकारियों से मिलीभगत करके एक पत्र सं. 1236 दिनांक 31.1.2006 को कथित रूप से प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा सं. 1236 अवैध एवं नगरपालिका मण्डल लालसोट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर प्रदत्त किया है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी निगरानीकार द्वारा पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। गैर निगरानीकार सं. 4 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। नगरपालिका मण्डल लालसोट का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 लगायत 3 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की प्रश्नगत पट्टा सं. 1236 दिनांक 31.01.2006 से सम्बन्धित विवादग्रस्त भूमि ख.न. 772 रकबा 1 बीघा भूमि कृषि भूमि है। तथा वर्तमान रिकार्ड में भी उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। कृषि भूमि का पट्टा देने का अधिकार नगरपालिका मण्डल लालसोट को नही है। किन्तु नगरपालिका मण्डल लालसोट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना 90 बी कार्यवाही किये ही प्रश्नगत पट्टा सं. 1236 दिनांक 31.01.2006 जारी कर दिया गया है। अभी तक खातेदारो के मध्य विवादग्रस्त भूमि ख.न. 772 रकबा 1 बीघा का विभाजन भी नही हुआ है। और बिना विभाजन हुए ही उक्त भूमि में से किसी विशिष्ट भू–भाग का पट्टा जारी नही हो सकता है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है एवं दिनांक 31.01.2006 को न्यायालय का रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने का आदेश प्रभावशील था। जिसकी जानकारी गैरनिगरानीकार सं. 01 लगा. 03 को होने के बावजूद भी अवैध रूप से पट्टा प्राप्त किया गया है। उक्त कथित पटटे के साथ जो नक्शा संलग्न किया गया है वह भी मौके की स्थिति के विपरीत है। नगरपालिका मण्डल लालसोट ने मौके की स्थिति की जांच किये बगैर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा देने की कार्यवाही में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। जबकी उक्त भूमि ख.न. 772 के 1/2 हिस्सें का खातेदार है एवं मौके पर काबिज है एवं अन्य खातेदारो को भी तलब कर नही सुना गया है। प्रकरण में 90 बी की कार्यवाही कब हुई यह भी स्पष्ट नही है। नगरपालिका मण्डल के कोरम के सदस्यो के समक्ष पट्टा अनुमोदित नही है। इसलिए उक्त पट्टा नगरपालिका मण्डल द्वारा प्रदत्त पट्टा नही माना जा सकता है। अतः प्रश्नगत पट्टा सं. 1236 दिनांक 31.01.2006 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 लगा. 03 द्वारा जवाब बहस मे निवेदन किया गया की उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 31.01.2006 को नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 19.08.2011 को पेश की गई है। प्रार्थी स्वयं उक्त पट्टा भूमि का खातेदार है। नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

गैर निगरानीकार सं. 01 लगा. 03 के पक्ष में विधिवत रूप से जारी किया गया है। गैर निगरानीकार उक्त पट्टा भूमि पर काबिज है। निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकारान को परेशान करने की गरज से यह निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा नगरपालिका मण्डल लालसोट से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य यह है कि प्रश्नगत विवादित भूमि ख.न. 772 रकबा 01 बीघा कृषि भूमि सयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व खातेदारान के मध्य विधिवत तकास्मा एवं नियमानुसार भू-रूपान्तरण किया जाना अपेक्षित था। उक्त तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में उनवानी वाद जगदीश बनाम बंसतीलाल न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में लम्बित होना व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर निगरानीकार सं. 01 लगा. 03 को नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा जारी पट्टा सं. 1236 दिनांक 31.01.2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रश्नगत पट्टा भूमि एवं इसके सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में विचाराधीन वाद के सम्बन्ध में पुनः जांच कर विवादित भूमि के तकास्मा एवं भूमि रूपान्तरण की विधिवत कार्यवाही के पश्चात पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31-8-.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा